झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।

पत्रांक-ख०प० खाद्यान्न 31/2010 899 /राँची, दिनांक-- 7.3.2012

प्रेषक,

राजबाला वर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची।

विषय :-- **राँची जिलान्तर्गत 9,888 अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों के संबंध में।**

प्रसंग :-- आपके पत्रांक 269 (ii)/आ०, दिनांक 05.03.2012 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 7352, दिनांक 15.11.2011 के आलोक में राँची जिला के अन्तर्गत 9,888 अतिरिक्त परिवारों को बी०पी०एल० श्रेणी में सम्मिलित करने के संबंध में अपनायी गयी प्रक्रिया की सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 71, दिनांक 06.01.2012, ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक ग्रा०वि० 5–112/2006, 928, ग्रा०वि०, दिनांक 17.02.2012 के द्वारा आपसे जिला में 9,888 अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों को बी०पी०एल० सूची में सम्मलित किये जाने में अपनायी गई प्रक्रिया की माँग की गई है।

2. अतः अनुरोध है कि जिला में अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों को सम्मलित किये जाने से संबंधित अपनायी गई प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय, ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके।

विश्वासभाजन,

(राजबाला वर्मा),
सरकार के प्रधान सचिव।

7.3.2012

07/03/12 14:32 JSFCSL 06512400958 p.01

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

पत्रांक 85(i)/जि0ग्रा0
दिनांक 22/3./2012

प्रेषक,

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
राँची

सेवा में,

श्री परितोष उपाध्याय,
सरकार के विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
झारखंड, राँची

विषयः-राँची जिला अन्तर्गत 9,888 अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 928 दिनांक 17.02.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि राँची जिला अन्तर्गत पूर्व में कुल 47024 बी0पी0एल0 परिवारों को अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों की सूची में सम्मिलित किया गया था, जिसकी औपबंधिक स्वीकृति सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची के पत्रांक 8016 दिनांक 11.11.2010 द्वारा प्रदान की गई थी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में पुनर्सर्वेक्षित बी0पी0एल0 परिवारों की सही संख्या का सत्यापन के कम में 9,888 अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार अयोग्य पाये गये। इसके पश्चात अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 1072(ii)/आर0 दिनांक 08.10.2011 द्वारा विभाग को उतनी ही संख्या में योग्य बी0पी0एल0 परिवारों की सूची तैयार कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा गया।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 8004 दिनांक 11.11.2010 में दिए गए दिशा-निर्देश तथा ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 4128 दिनांक 08.06.2010 एवं ज्ञापांक 4137 दिनांक 09.06.2010 में दिए गए निदेश के आलोक में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002-07 का पुनरीक्षण कार्य भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सर्वे 2002-07 के लिए निर्गत मार्ग-दर्शिका एवं पूर्व में समय-समय पर दिए गए निर्देश के अनुसार 13 बिन्दु अहर्त्ता गणना के आधार पर 9888 बी0पी0एल0 परिवारों को चिन्हित किया गया है।

सूचनार्थ।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 22/03/12
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
राँची

20/03/2012 18:17 2401633 SPL.SECT.CALE PAGE 01

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः– 2085(अनु) /ग्रा0वि0
ग्रा0वि0 5–112 / 2008

रॉंची,दिनांकः– 27/3/12 /

प्रेषक,

परितोष उपाध्याय,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, रॉंची ।

विषयः– **रॉंची जिलान्तर्गत 9888 अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रॉंची जिलान्तर्गत 9888 अतिरिक्त परिवारों को बी0पी0एल0 श्रेणी में सम्मिलित करने के संबंध में अपनायी गयी प्रक्रिया की सूचना उपायुक्त, रॉंची के पत्रांक– 85 दिनांक–22.3.2012 द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(परितोष उपाध्याय) 27/3/12
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 2085 /ग्रा0वि0 रॉंची,दिनांकः– 27/3/12 /

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित ।

27/3/12
सरकार के विशेष सचिव ।

E_Binod_BPL_5-112

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः– 2085 (ग्रा) ग्रा०वि० रॉंची, दिनांकः– 27/3/12
ग्रा०वि० 5–112/2006

प्रेषक,

परितोष उपाध्याय,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता ममाले विभाग,
झारखण्ड, रॉंची ।

विषयः– रॉंची जिलान्तर्गत 9888 अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रॉंची जिलान्तर्गत 9888 अतिरिक्त परिवारों को बी०पी०एल० श्रेणी में सम्मिलित करने के संबंध में अपनायी गयी प्रकिया की सूचना उपायुक्त, रॉंची के पत्रांक– 85 दिनांक–22.3.2012 द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः–यथोक्त ।

विश्वासभाजन
27/03/12
(परितोष उपाध्याय)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 2085 / ग्रा०वि० रॉंची, दिनांकः– 27/3/12 /
प्रतिलिपिः– उपायुक्त, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित ।

27/03/12
सरकार के विशेष सचिव ।

410
28/3/12

E_Binod_BPL_5-112

राँची समाहरणालय, राँची
(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक :– 416(ii)/आ०

दिनांक :– 27/3/12

प्रेषक,

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– राँची जिला अंतर्गत 9888 अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवार के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 899 दिनांक 07.03.2012

महाशया,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के द्वारा पत्रांक 85 दिनांक 22.03.2012 के द्वारा राँची जिला अंतर्गत 9888 अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों को सम्मिलित करने हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को जवाब भेज दिया गया है। सरकार के विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ने अपने पत्रांक 2085 दिनांक 27.03.2012 द्वारा महोदया को सूचित किया है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 27/03/12

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
राँची।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
राँची।